पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 07 एवं एनबीडब्ल्यू में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 13.03.2023

दिनांक 12/13-03-2023 को रात्रि थाना आलमबाग 03, बी0बी0डी0 01, गाजीपुर 02, पी.जी.आई. 01 एवं एनबीडब्ल्यू में थाना इटौंजा 01, पी.जी.आई. 01, मोहनलालगंज 06 अभियुक्त गिरफ्तार, इस प्रकार वांछित में कुल 07 एवं एनबीडब्ल्यू में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना कृष्णानगर- दिनांक 13-03-2023 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि लोक बंधु अस्पताल थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ द्वारा थाना कृष्णानगर पर एक मेमो इस आशय का भेजा गया कि दिनांक 13-03-2023 को समय करीब 03.05 बजे सुबह एक पुरूष नाम पता अज्ञात उम्र करीब 35 वर्ष निवासी अज्ञात को मृत अवस्था में इस चिकित्सालय में लाया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री रवि गोयल मो0नं0- 9917536264 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक की पहचान तेजबहादुर उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र स्व0 ननकू राम निवासी ग्राम व पोस्ट रेडीगारापुर कोतवाली पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के रूप में उसके भाई जोखनलाल पुत्र स्व0 ननकू राम निवासी ग्राम व पोस्ट रेडीगारापुर कोतवाली पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा की गई। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक कार कैरियर में चालक था। जिसकी दिनांक 13-03-2023 की रात्रि में रायबरेली शहीद पथ पर एक्सीडेन्ट होने के कारण मृत्यु हो गई है। मृतक के दो बच्चे है।

बी0बी0डी0-(चोरी)- दिनांक 13-03-2023 को थाना बी0बी0डी0 द्वारा बताया गया कि वादी श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र जगबहादुर सिंह निवासी ग्राम हासेमऊ थाना बी0बी0डी0 लखनऊ ने थाना बी0बी0डी0 पर सूचना दिया कि दिनांक 07/08.03.2023 को वादी सपरिवार अपने गांव चैनपुरवा पोस्ट रेकसडिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा गया था। दिनांक 12-03-2023 को वादी के पडोसियों द्वारा सूचना निली कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। इस सूचना पर वादी अपने घर गोण्डा से हासेमऊ थाना बी0बी0डी0 लखनऊ अपने मकान आया तो देखा कि वादी के घर का ताला टूटा हुआ है वादी ने अंदर जा कर देखा तो घर में रखे सोने व चाँदी के कीमती जेवरात व नकदी को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना बी0बी0डी0 पर मु0अ0सं0 76/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री तिलक सिंह गंगवार द्वारा की जा रही है।**

थाना बिजनौर- दिनांक 13-03-2023 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि वादी श्री कार्तिकेय श्रीवास्तव पुत्र श्री संजीव रंजन श्रीवास्तव निवासी म0न0 2/408 सेक्टर 02 जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ ने थाना बिजनौर पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 12.03.2023 को ओमेक्स सिटी के बगल स्थित आई ऑन डिजिटल में एलआईसी की एडीओ के पद हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपने वाहन संख्या यूपी 32 एफई 0770 से समय लगभग 13:00 बजे उपस्थित हुआ। मोबाइल और पर्स अंदर जाने की इजाजत ना होने के कारण वादी अपना पर्स व मोबाइल फोन उक्त वाहन की डिक्की में रखकर एग्जाम देने परिसर के अंदर चला गया। इसी दौरान वादी की वाहन की डिक्की से वादी का पर्स व मोबाइल फोन किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया और वादी के एस.बी.ई. खाते से विभिन्न चरणों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व एटीएम के माध्यम से लगभग 90,000/- रूपया निकाल लिया गया है। **इस सूचना पर थाना बिजनौर पर मु0अ0सं0 57/2023 धारा 379/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री गौरव कुमार द्वारा की जा रही है।**